

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 5819  
प्रति,


तेशा प्र.अ. लोस्वायांवि 2007, रायपुर दिनांक 04/08/07


1. मुख्य अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
परिक्षेत्र, रायपुर बिलासपुर
2. अधीक्षण अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
मंडल, \_\_\_\_\_
3. कार्यपालन अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
खण्ड \_\_\_\_\_

विषय- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता के मापदण्ड का निर्धारण बाबत ।  
संदर्भ- छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1729 एफ-10-1/07 34-2/01 रायपुर, दिनांक 27.07.2007

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर के संदर्भित पत्र से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए समस्त नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु वांछित अनुभव की शर्त एवं ठेकेदारों की निविदा क्षमता के निर्धारण हेतु पारदर्शिता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता मापदण्ड का निर्धारण किया गया है । यह निर्देश जारी होने की तिथि से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिये प्रभावशील होगा । शासन के उक्त पत्र की छायाप्रति आपको सलवन की जा रही है । शासन के निर्देशानुसार भविष्य में समस्त नगरीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में संदर्भित पत्र में उल्लेखित शर्तों का उल्लेख किया जावे ।

ले मु. झ  
आर. फादल  
सहपत्र- एक  
एक जो  
को दो नोवा  
बीरुध



  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

